

(प्रपत्र - 7(a))

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

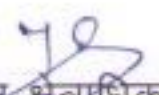
स्थल विशिष्ट होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।


अवर अभियन्ता/कनिष्ठ इंजीनियर
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


अभियन्ता/अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी
Executive Engineer
Consr. Divn., P.W.D.
Kalsi


वन क्षेत्राधिकारी
रिखवाड़ रेंज
चकराता वन प्रभाग


उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग

(प्रपत्र-14)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 1.7360 है० आरक्षित वन भूमि व सिविल भूमि न्यूनतम है इससे कम भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।


अवर अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी

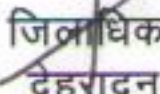

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी
Executive Engineer
Constn. Dept. P.W.D.
Kalsi


वन क्षेत्राधिकारी
रिखनाड
चकराता वन प्रभाग


उप-प्रमाणित वनाधिकारी
उप-प्रमाणित वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग


प्रमाणित वनाधिकारी
प्रमाणित वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग


उप जिलाधिकारी
चकराता
चकराता/कालसी/त्यूनी

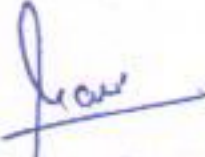

जिलाधिकारी
देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून

(प्रपत्र-18)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


अवर अभियन्ता/कारण्ड अभिप्रेत
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


अधिशाली अभियन्ता
Executive Engineer
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


वन क्षेत्राधिकारी
रिखनाड क्षेत्र
चकराता वन


उप-प्रभारी वनाधिकारी
प्रभारी वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग


प्रभारी वनाधिकारी
प्रभारी वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग

(प्रपत्र-23)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से मोटर मार्ग के अन्तर्गत चिन्हित वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


वन क्षेत्र अधिकारी
रिजिस्टर्ड रजि
स्टर वन प्रभाग


उप-प्रभागीय वनाधिकारी
उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता


JE


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड पी.एम.जी.एस.वाई
लो.नि.वि. कालसी

(प्रपत्र-24)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

प्रस्तावित परियोजना में न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कुल 101 वृक्षों का पातन किया जाना आवश्यक है जो कि न्यूनतम है।

प्रयोक्ता एजेन्सी

उप-प्रशासक वनाधिकारी
उप-प्रशासक वनाधिकारी
चकराता

प्रभाषीय वनाधिकारी
प्रभाषीय वनाधिकारी
चकराता (देहरादून)

JE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड पी.एम.जी.एस.वाई
लो.नि.वि. कालसी

Executive Engineer
Constn. Divn., P.W.D.
Kalsi

(प्रपत्र-25)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा न होने का प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त 1.7360 है० सिविल सोयम भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है।

वन क्षेत्रधिकारी
सिविल सोयम
चकराता वन प्रभाग

उप-प्रभागीय वन अधिकारी
उप-प्रभागीय वन अधिकारी
चकराता

प्रभागीय वन अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)

जा
जे

ह

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड पी.एम.जी.एस.वाई
लो.नि.वि. कालसी

Executive Engineer
Constn. Divn., P.W.D.
-Kalsi

(प्रपत्र-25(a))

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण से दूरी का प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना में प्रयुक्त आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित परियोजना से राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण की क्षैतीज दूरी लगभग 20.00 कि०मी० है।

42
वन क्षेत्रधिकारी
सिखमण्डल रेंज
चकराता वन प्रभाग

उप-प्रभारी वन अधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

प्रभागीय वन अधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (चकराता)

JE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड पी.एम.जी.एस.वाई
लो.नि.वि. कालसी

Executive Engineer
Constn. Divn., P.W.D.
Kalsi

(प्रपत्र-29)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी0)

Cost Benefit Ratio calculation Performa

Block:- Chakrata

Distt. Dehradun

Cost benefit ratio Chart not Required for Less then 5.00 hect. Proposed land.


अवर अभियन्ता / कमिष्नर अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी


अधीक्षक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी
Executive Engineer
Chakrata, Distt. P.W.D.

Office of Empanelled Geologist
पत्रांक 622/148व्यक-सा0/13 दिनांक 15/05/2013
P.W.D. Uttarakhand

Geological Investigation Report
E.G. – Road / Bridge / Alignment
Kalsi – 12 / 2015

Geological Assessment of the Alignment Corridor Proposed For – From
Chakrata-Lakhamandal Motor Road to Rangeu Motor Road,
Block – Chakrata, Distt. Dehradun

18 Dec. 2015

J.P. Madhwal
Empanelled Geologist
Shantikunj, Lane-1,
Nehrugram Road,
Nathanpur, Dehradun
Phone – 0135 – 6448774
Mob – 9412965965
Email – jpmadhwal@gmail.com

**Geological Assessment of the Alignment Corridor Proposed For – From
Chakrata-Lakhamandal Motor Road to Rangeu Motor Road,
Block – Chakrata, Distt. Dehradun**

J.P. Madhwal

18/12/2015

- 1. Introduction :-** The Construction Division, Public Works Department, PMGSY Haridwar (HQ-Kalsi) has proposed the construction of 6.150 Km. long motor road named **From Chakrata-Lakhamandal Motor Road to Rangeu Motor Road** on the request of the Executive Engineer, C.D. P.W.D. PMGSY, Haridwar (HQ-Kalsi) I carried out the geological assessment of the proposed alignment of the road in presence of Er. Praveen Rawat the concerned consultant.
- 2. Location:-** The proposed alignment originates from the Chakrata-Lakhamandal Motor Road as a Branch Road connecting the unconnected village Rangeu having Ten H.P. Bends.
- 3. Geological Assessment:-** The area of the proposed alignment is located in the Garhwal Lesser Himalayan Belt. The Barkot unit is exposed, phyllite, slate & meta quartzite are exposed in and around the area of the proposed road. Mostly the quartzites which are hard compact and massive in nature are exposed on the slopes of the proposed alignment. These quartzites are interveined with the thin partings of phyllites which are chloritic in nature. These rocks are traversed by four prominent joint sets and at places they are weathered, oxidized and tectonized in nature. At along the alignment corridor bends of phyllites were also encountered. Most of the slopes across the alignment are inclined at steep to very steep and are generally oriented in N 150 to 320 direction. These rocks across the alignment slopes are mostly covered with the thin cover of overburden/ hill wash material and its thickness has been assessed between 1.0 m to 1.5 m order. It has been observed that about 85 percent to 90 percent of the alignment passes through the rocky slopes. The north easterly joints dissecting rock masses are sealed with the secondary inclusions and occasionally opened and infilled by the grounded/ crushed rock.

By and large the entire slopes of the proposed road are stable and free from any sliding/ mass wasting.


J. P. MADHWAL
M.Sc. GEOLOGY
EMPANELLED GEOLOGIST
P.W.D. UTTARAKHAND

On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and the facts mentioned above the following recommendations are being made for the construction of the proposed road.

The overburden material exposed along the alignment corridor is comprised of the scanty rock fragments of various shapes and sizes embedded in the clay- silt matrix. This overburden material is naturally well compacted and dense in nature.

The slope forming overburden material do not contain any soft/dispersive soils.

By and large the alignment slopes are stable and do not bear any signature of mass wasting/land sliding.

On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and the facts mentioned above the following recommendations are being made for the construction of the proposed road.

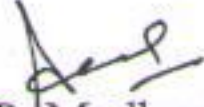
4. Recommendation:-

- (i) The alignment some time traverses along/across minor fault zone which is geologically fragile and special attention needs to be given for stability of road where alignment crossing the Nalas or Gads or local streams.
- (ii) The hill slope is another factor responsible for geological hazards the road basically traverses the slope class 35° to 48° special attention needs to be given for stability where it is 48° to 65° in some parts.
- (iii) Special attention must be give at the point of H.P. Bend at the time of construction of road.
- (iv) From the road by half cut – half fill techniques and ensure the proper compaction of the fill material.
- (v) Do not dispose the debris in hill side, dispose it in a safe zone.
- (vi) Do not blast heavily on the rocks and blasting is restricted near the human settlement/ public property.
- (vii) The road must have extra wide lined long drain with adequate cross drainage arrangement.
- (viii) The road must be formed shoulder to shoulder paved, this is so to check the water ingress into the sub surface material.


 J. P. MADHWAL
 M.Sc. GEOLOGY
 EMPANELLED GEOLOGIST
 P.W.D. UTTARAKHAND

- (ix) Construct suitably designed retaining walls/ Brest Wall all along the road, specially in H.P. Bends, it is essential for the overall stability of the hill slope.
- (x) All the construction activity must be carried out as per the standards and norms following the IS codes prescribed for the similar civil construction in Himalayan Zone.
- (xi) This report is prefeasibility report. At the time of construction it need separate geological concern.

5. Conclusion:- On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations, the site was found geologically suitable for the construction of 6.150 Km. long motor road named **From Chakrata-Lakhamandal Motor Road to Rangeu Motor Road**, Distt. Dehradun, Uttarakhand.

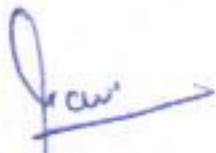

(J.P. Madhwal)
J. P. MADHWAL
M.Sc. GEOLOGY
EMPANELLED GEOLOGIST
P.W.D. UTTARAKHAND

(प्रपत्र-34)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

भू- वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्यो के दौरान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा। जिनको परियोजना के विस्तृत आगणन में लिया गया है।


अवर अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


अधीनस्थ अभियन्ता
Executive Engineer
Constn. Divn. P.W.D.
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी

(प्रपत्र-35)

"TASK FORCE CERTIFICATE"

- 1- Lay out of the Land be followed as possible.
- 2- Heavy cutting filling be avoided as far as possible the technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- 3- Unstable slide- prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- 4- A comparison of various possible alignments with reference potential be made and the alignment involving minimum crosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of roads. Broadly the measures to be taken have been identified as:-

- 1- Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- 2- Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned. Keeping in view the line of least resistance and the existence of joints. Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rocks. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for an online dispersion of chock waves. So that minimum disturbance is caused to the rock stratum as result of the blasting process.
- 3- All cut slopes. Unstable hill side and slide prone crosion prone areas are to be provalued with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed be CRRl like sample vegetative Turing. Bitumen much treatment and slide treatment by Jute netting these simple vegetaive Turing seams to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be establised in the dandified slopes immediately after the excavation is made.
- 4- adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains culverts, breast walls retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slopes. Growth vegetative cover is stimualte in the disturbed hill slope above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants In certain selected unstable areas terraced Afforestation has also been protected as a stablised measure with good results.

Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an in built mechanism for tacking land shadow erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD', Border Roads Organisation and others engaged in construcion of hill roads these should be observed

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतिया याचक विभाग को मान्य है।

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०वि०वि० कालसी

अधीनस्थ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०वि०वि० कालसी

(प्रपत्र-36)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी0)

मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अतः उसके किसी भी भाग को किसी भी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेगा और ऐसा किये जाने पर संबंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस संबंध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से अच्छा नदित वन एवं जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय, केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापिस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न करने पर भी हस्तान्तरित भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रकार का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10.12.1982 में निहित आदेशों का पालन भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा, कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सूची सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ0प्र0 वन नियम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मी0 एवं 30' से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज (वप) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा, या खम्भों को ऊँचा करके इससे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करियेगा।
17. लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय जब उक्त शर्तों का पूर्ण पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

अवर अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

अधीक्षक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी
Kalsi

(प्रपत्र-37)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है। तथा उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सिविल भूमि किसी अन्य परियोजना के लिये प्रस्तावित/आवंटित नहीं की गयी है।


अवर अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


अधीनस्थ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


जगन्नाथ शर्मा
राजस्व उप निरीक्षक/प्रधानाध्यक्ष
क्षेत्र.....
नि०ख० लो०नि०वि०,
(देहरादून)


तहसीलदार
तहसीलदार
चकराता


वन क्षेत्र अधिकारी
रिखन
चकराता वन प्रभाग


उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता
कालसी


प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता देहरादून


उपजिलाधिकारी
चकराता
कालसी/त्यूनी


जिलाधिकारी
देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून

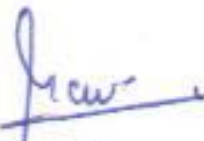
(प्रपत्र-38)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण के दौरान प्रस्तावक विभाग के द्वारा वन्य जीवों का रख-रखाव किया जायेगा तथा वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने की टोपोशीट का मानचित्र जिसमें सिविल भूमि को पीले रंग से तथा नाप भूमि को अन्य रंग से रेखांकित किया गया है। प्रस्तावित समरेखण को लाल रंग से एवं वैकल्पिक समरेखण को अन्य रंग से दर्शाया गया है।


अवर अभियन्ता/कमिष्नर अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


अधीनस्थ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी

(प्रपत्र-39)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

ईंधन प्रयोग किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को ईंधन के प्रयोग के लिये प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कुकिंग गैस/केरोसिन ऑयल उपलब्ध कराया जायेगा ताकि आस-पास वनों के वृक्षों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी।


अवर अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


अधीनस्थ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी

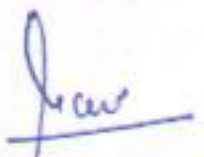
(प्रपत्र-40)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

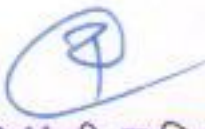
प्रस्तावित परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के संबंध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न ग्रामों/परिवारों/जनसंख्याओं को लाभ प्राप्त होगा।

क्र०सं०	गांव का नाम	कोड़ संख्या	जनसंख्या	
			प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष
1	रंगेऊ		389	411
	कुल योग		800	


अवर अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


अधीक्षक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी

(प्रपत्र-41)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रायोजन हेतु 1.7360 है० आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि सर्किल दर के अनुसार मूल्य रू० 8,80,000.00 प्रति है० की दर से कुल मूल्य रू० 1527680.00 होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट शून्य रू० होता है।


अवर अभियन्ता (कनिष्ठ अभियन्ता)
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


Executive Engineer
अधीक्षक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


राजस्व उप निरीक्षक शर्मा
राजस्व उप निरीक्षक/प्रमाणिक
चकराता
तहसील-चकराता (देहरादून)


तहसीलदार
चकराता
तहसीलदार
'चकराता'


उप जिलाधिकारी
चकराता/कालसी/त्यूनी


जिलाधिकारी
देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून

(प्रपत्र-42)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

प्राक्कलन बाबत डेरसा सिविल भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत 3.472 है० वृक्षारोपण कार्य
चकराता-लाखामण्डल मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
प्रथम चरण					
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति है०	3.472	92.00	319.42
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	प्रति है०	3.472	1214.00	4215.00
3	सुरक्षा दीवाल निर्माण $800\text{र०मी०} \times (0.60 + 0.45) \times 1.15 = 483.00$	प्रतिघ०मी०	483.00	224.00	108192.00
4	कन्टूर फरो का खुदान कार्य	प्रति है०		-	
5	अग्रिम मृदा कार्य $0.30 \times 0.30 \times 0.45 = 27500$ गड्ढे	प्रति गड्ढा	6944	5.70	39580.80
6	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	3.472	373.00	1190.90
7	प्रथम वर्ष पौधों की कीमत	प्रति पौध	6944	4.58	31803.58
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र एवं औजार तेज करना आदि	प्रति है०	3.472	376.00	1305.47
9	भूमि संरक्षण एवं वन संरक्षण (10 है० को आधार मानते हुए परकुलेशन टैंक, वर्षा वन संरक्षण)	प्रति है०	3.472	7040	24442.88
योग प्रथम चरण					211050.05
द्वितीय चरण					
1	गड्ढा भरान कार्य	प्रति गड्ढा	6944	0.97	6735.68
2	कन्टूर फरो का बीज बुआई कार्य करना	प्रति र०मी०	-	-	
3	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	6944	0.82	5694.08
4	पौधों दुलान कार्य (25 प्रतिशत नंगी जड़ तथा 75 प्रतिशत बैग पौध रोपण तथा 25 कि०मी० बान व 3 कि०मी० सिरबाझ औसत पर)	प्रति पौध	6944	5.50	38192.00
5	पौधों रोपण व थवला बन्दी	प्रति पौध	6944	2.20	15276.80
6	निराई गुढई व मल्लिचंग (दो बार)	प्रति पौध	6944	1.76	12221.44
7	खाद व दवा पर व्यय	प्रति सैं० पौध	69.44	1600	111104.00
8	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 9 माह (कम से कम 10 है० पर)	प्रति है०	3.472	475	1649.20
9	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास फुस एवं ज्वलन शील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	3.472	282	979.10
10	9.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्रति है०	3.472	213	739.54
11	9.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	(अ) प्रशिक्षण	ल०स०	3.472	444	1541.57
	(ब) प्रोत्साहन	ल०स०	3.472	222	770.78
12	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी, सीट कय वर्ष में 3 बार फोटोग्राफी, फिल्ड स्तरीय, कार्यों का प्रचार, प्रसार एवं डाक्यूमेंटेशन आदि कार्य	प्रति है०	3.472	1021	3544.91
13	कन्टूर खाईयों में घास स्लिप का रोपण दुलान सहित	प्रति है०	-	-	
योग द्वितीय चरण					198449.10
कुल योग (प्रथम व द्वितीय चरण)					409499.15

[Signature]

[Signature]
सहायक आभियन्ता
AE.
जिला एन.वाई

तृतीय चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्रति सैं०पौध	69.44	697	48399.68
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास फूस एवं ज्वलन शील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	3.472	282	979.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्रति है०	3.472	213	739.54
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभाविन्त होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	(अ) प्रशिक्षण	ल०स०	3.472	444	1541.57
	(ब) प्रोत्साहन	ल०स०	3.472	222	770.78
योग तृतीय चरण					52430.67
चतुर्थ चरण (तृतीय वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि सहित)					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्रति सैं०पौध	69.44	766.70	53239.65
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास फूस एवं ज्वलन शील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	3.472	310	1076.32
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्रति है०	3.472	234	812.45
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभाविन्त होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	(अ) प्रशिक्षण	ल०स०	3.472	488	1694.34
	(ब) प्रोत्साहन	ल०स०	3.472	244.20	847.86
योग चतुर्थ चरण					57670.62
पंचम चरण					
1	उपरोक्त चतुर्थ चरण के अनुसार	कुल			57670.62
योग पंचम चरण					57670.62
सष्ठम् चरण					
1	उपरोक्त पंचम चरण के अनुसार	कुल			57670.62
योग सष्ठम् चरण					57670.62
सप्तम् चरण					
1	उपरोक्त सष्ठम् चरण के अनुसार	कुल			57670.62
योग सप्तम् चरण					57670.62
अष्टम् चरण					
1	उपरोक्त सप्तम् चरण के अनुसार	कुल			57670.62
योग अष्टम् चरण					57670.62
नवम् चरण					
1	उपरोक्त अष्टम् चरण के अनुसार	कुल			57670.62
योग नवम् चरण					57670.62
दशम् चरण					
1	उपरोक्त नवम् चरण के अनुसार	कुल			57670.62
योग दशम् चरण -					57670.62
महायोग -					865624.18

3.472 x 25170333 =

6.60838 = 17

6.60,800

6.60838 = 17

वन दरीगा

उप-प्रभागीय वनाधिकारी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी

रैंज अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

चकराता वन प्रभाग

चकराता (देहरादून)

सहायक अभियन्ता

(प्रपत्र-46)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

प्राक्कलन बाबत वृक्षरोपण कार्य- चकराता-लाखामण्डल मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों में 6.150 किमी० लम्बाई के सापेक्ष वृक्षारोपण कार्य

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
प्रथम चरण					
1	घास की सफाई करना तथा सफाई क्षेत्र परिधि से 50 मी० दूर फेंकना	प्रति वर्ग मी०	615	2	1230.00
2	बांस के ट्री-गार्ड बनाना मय बांस की कीमत, ढुलान तथा फिक्स करना	प्रति पौध	615	400	246000.00
3	सड़ी-गली गोबर की खाद आपूर्ति करना लोडिंग अनलोडिंग सहित	प्रति गड्ढा	615	21	12915.00
4	साधारण मृदा में गड्ढा खुदान तथा मिट्टी में खाद मिलाकर पुनः गड्ढे में भरना या 2:1 मिश्रण में खाद/कीचड़ को प्रवाहित करना, मिश्रण का ड्रेसिंग तथा मृदा व खरपतवार को बाहर फेंकना।	प्रति गड्ढा	615	18	11070.00
योग प्रथम चरण					271215.00
द्वितीय चरण					
1	18"X24" साइज बैग में उत्पादित 6 से 7 फीट ऊंचाई की पौध की आपूर्ति (प्रस्तावित दरें मात्र प्राक्कलन हेतु हैं)	प्रति पौध	615	121	74415.00
2	पौध रोपण सर ढुलान एवं थावलाबन्दी सहित	प्रति पौध	615	25	15375.00
3	रोपण वर्ष में श्रमिकों को रखकर सालभर पौधों का रख-रखाव, निराई-गुडाई, खरपतवार उपचार आदि (9 माह)	प्रति पौध	615	156.75	96401.25
4	रोपित पौध में अक्टूबर से मार्च माह में तीन बार सिंचाई करना।	प्रति पौध	615	84	51660.00
योग द्वितीय चरण					237851.25
कुल योग (प्रथम व द्वितीय चरण)					509066.25
तृतीय चरण प्रथम वर्ष अनुरक्षण					
1	अप्रैल से जुन तक 3 माह में चार बार सिंचाई करना	प्रति पौध	615	57	35055.00
2	प्रति 10 कि०मी० में पौधों की देख-रेख हेतु सुरक्षा गार्ड प्रति माह 10 रो० कि०मी०	10रो० किमी०	0.615	63360	38966.40
3	अक्टूबर से मार्च तक 6 माह में तीन बार सिंचाई करना	प्रति पौध	615	84	51660.00
योग तृतीय चरण					125681.40
चतुर्थ चरण द्वितीय वर्ष अनुरक्षण					
1	उपरोक्त तृतीय चरण के अनुसार	कुल			125681.40
योग चतुर्थ चरण					125681.40
पंचम चरण तृतीय वर्ष अनुरक्षण					
1	उपरोक्त चतुर्थ चरण के अनुसार	कुल			125681.40
योग पंचम चरण					125681.40

सहायक आयुक्त
निर्माण खण्ड पी.एम.जी.एस.वाई
जे. वि. वि. कालसी

$$\frac{f_w}{f_c}$$

15



Letter to the Manager

2

ዘጠኝ ኩዩ

Am 12.11.12

10/10/10

प्रश्न 5

乙丑

(प्रपत्र-46(a))

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

रिक्त पड़े स्थानों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का आगणन प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण में प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वांक्षित धनराशी वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	मार्ग की लम्बाई	दर (लाख में)	प्रति	ईकाई	कुल लागत (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
1	पथ वृक्षारोपण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के प्रत्रांक संख्या-3080/20-2 (ब.सं.स.) दिनांक 02.06.2007 द्वारा प्रति किमी० 100 रोपण के मानक के अनुसार आगणित करें	6.150	1.00	प्रति	किमी०	615000 / -


अवर अभियन्ता/कनेक्शन अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी

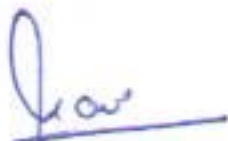

अधीनस्थ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी

(प्रपत्र-46(b))

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशी वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।


अवर अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


Executive Engineer
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी